


महात्मा ज्योतिबा फुले

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली



महात्मा ज्योतिबा फुले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रवेश नियमावली  
एवं  
शैक्षिक पंचांग  
2015-2016

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ - 227332

संख्या ई- 4681/जी0एस0  
दिनांक : 11/06/2010

प्रेषक :

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

विषय : विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया रिट पिटीशन संख्या -2830/2004 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2005 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय/महाविश्वविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-404/सत्तर-1-2006-17 (18)/05 दिनांक 28 मार्च, 2006 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(3) में यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिये कॉलेज के प्राचार्य या प्रबंधक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेंगे।

इस क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-61 (घ) के अनुसार

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्णीय होगा।

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो यह अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 22.09.2005 एवं शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित किया जाये।

भवदीय,

कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता

प्रेषक,

राजीव कुमार, सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1-कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०

इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 28 मार्च, 2006

विषय : विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या - 2830 (एम एस) / 2004 डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद बनाम सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सदर, फैजाबाद व अन्य में पारित / आदेश दिनांक 22.9.2005 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं-

- (1) प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात न तो विश्वविद्यालय और न ही उससे सम्बद्ध या सहयुक्त कालेजों को किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने का कोई अधिकार है और यदि किसी विद्यार्थी को प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रवेश दिया गया है तो ऐसे प्रवेश निरस्त करने होंगे और ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात किसी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति न दी जाय।
- (2) प्रवेश के अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद और उसके पश्चात 15 दिन के भीतर सम्बद्ध, सहयुक्त कॉलेज या संस्थायें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति की अभिलेख के लिए भेजेगी। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी जिनके नाम इस सूची में होंगे।
- (3) यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिए कॉलेज के प्राचार्य या प्रबन्धक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप में अभियोजित किये जा सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधान व श्री कुलाधिपति के प्रपत्र के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही का आधार भी होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश करने पर वैसी ही कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलपति या सक्षम अधिकारी के विरुद्ध भी की जा सकती है।
- (4) सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य या प्रबन्धक ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे जिनको प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् या विषय में स्वीकृत संख्या से अधिक या बिना मान्यता प्राप्त विषय में प्रवेश दिया गया है। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिपत्र के विरुद्ध किया गया कार्य सम्बन्धित संस्था को मान्यता विहीन करने और प्राचार्य एवं मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही का आधार होगा। इस आदेश एवं श्री कुलाधिपति के परिचत्र का अतिक्रमण संस्था के प्राचार्य को वृहद् दण्ड देने का आधार भी हो सकता है।
- (5) विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अपराध बनने पर भी प्राचार्य एवं कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को आपराधिक रूप में अभियोजित किया जा सकता है।

2- कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- ये निर्देश भी कुलाधिपति जी के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

सचिव।

प्रेषक,

संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011

बी. बी. सिंह  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ  
संख्या ..... 33 ..... / रा०उ०शि०प०/20  
दिनांक ..... 22.05.2015 .....

सेवा में,

- 1- कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 22 मई, 2015

विषय : राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु समय-समय पर कई शासनादेश जारी किये गये हैं। रिट याचिका संख्या-729 (एस/बी) / 2012 डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-4236/2014 वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में राज्य विश्वविद्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें और महाविद्यालयों में आधार-भूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता को भी आधार माना जाय।

2- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या - 729 (एस/बी)/2012 डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-750/सत्तर-1-2013-16(20)/2011 दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अधीन ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को निर्गत किये गये हैं।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सीट से अधिक प्रवेश लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के प्राविधानों के विपरीत हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।

- 1- प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विषयों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिये जायें। विषयवार स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28 (4) का उल्लंघन है, अतः और अधिक संख्या में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश उक्त अधिनियम

- की धारा 28(6) अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य होंगे।
- 2- प्रत्येक वर्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों को पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित की जायेगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में पाठ्यक्रम व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी ताकि जनसामान्य को यह सूचना उपलब्ध रहे।
  - 3- महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षण कक्ष, शिक्षकों की संख्या आदि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करते समय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये विषयवार सीटों का निर्धारण किया जायेगा और संबंधित महाविद्यालय को यथाशीघ्र सूचित करते हुये जनसामान्य के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित की जायेगी।
  - 4- पाठ्यक्रमवार एवं विषयवार सीटों की संख्या निर्धारित करते समय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक-छात्र अनुपात के निर्धारित मानक का अनुपालन किया जायेगा, जो वर्तमान में 1:60 है, तथा जिसे 1:80 तक कुलपति की अनुमति से शिक्षण सत्र हेतु नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
  - 5- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया की दिन-प्रतिदिन के आधार पर गहनता पूर्वक समीक्षा की जायेगी। प्रत्येक महाविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह भरी गयी एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
  6. प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा कुल पाठ्यक्रमवार व विषयवार स्वीकृत सीटों की संख्या, उसके सापेक्ष दिये गये प्रवेश तथा रिक्त सीटों की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जनसामान्य के अवलोकनार्थ अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
  - 7- प्रवेश के अंतिम दिन से पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयवार प्रवेशित छात्रों की सूची उनकी मेरिट के अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
  - 8- विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित करे जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार स्वीकृत छात्र संख्या के तहत भर्ती किये गये छात्रों को ही परीक्षा प्रपत्र स्वीकार किये जाएं और केवल उन्हीं छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय।
  9. जो महाविद्यालय उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उनका सम्बद्धीकरण/मान्यता राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37 (8) निरस्त करने की कार्यवाही पर भी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जाय।
  10. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमवार व विषयवार शिक्षकों के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तावों का निस्तारण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर अवश्य कर दिया जाए, ताकि पठन पाठन के कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी० बी० सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या – 421 (1) / सत्तर – 1 – 2015 – तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
- (2) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश का इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश संबंधित जनपदों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित करते हुये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- (4) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को प्रतिभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करते हुये समस्त संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) निजि सचिव, सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- (6) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) गार्ड फाइल

भवदीय,

  
(बीरेन्द्र नाथ)

अनु सचिव।



म.ज्यो.फु.  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

# महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रवेश नियमावली (परिसर एवम् महाविद्यालयों के लिए)

खण्ड 'क'

शैक्षणिक सत्र 2015-2016

1. (क) विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा।  
(ख) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.05.2014 में संकायाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर विज्ञान एवं कला संकाय के विषय संयोजन (Subject Combination) का अनुमोदन किया गया। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित समूह बनाया गया।

(A) बायो गुप :

(क)	(ख)	(ग)
जन्तु विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	रसायन विज्ञान
अथवा	अथवा	अथवा
इण्डिस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी	पर्यावरण विज्ञान	औद्योगिक रसायन
अथवा		अथवा
बायोटेक्नोलॉजी		सैन्य अध्ययन

(B) मैथ्स गुप :

(क)	(ख)	(ग)
भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	गणित
	अथवा	
	सांख्यिकी	
	अथवा	
	औद्योगिक रसायन	
	अथवा	
	सैन्य अध्ययन	

उक्त दोनों Groups के क, ख एवं ग में से अभ्यर्थी एक विषय का ही चयन कर सकता है।

कला संकाय के अन्तर्गत विषय संयोजना निम्नवत् होगा :-

- (1) बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।  
(2) अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है -  
(क) अरबी अथवा फारसी में से एक विषय।  
(ख) संस्कृत अथवा उर्दू में से एक विषय।  
(ग) अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य में से एक अथवा दोनों विषय।  
(3) अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन कर सकता है।  
(4) अभ्यर्थी गणित अथवा सांख्यिकी में से एक विषय का चयन कर सकता है।  
(5) अभ्यर्थी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र में से एक विषय का चयन कर सकता है।  
(6) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है।  
(7) अनिवार्य अर्हता विषय पर्यावरण की परीक्षा में प्रथम वर्ष में संस्थागत तथा द्वितीय वर्ष में व्यक्तिगत छात्र ही सम्मिलित हों। पर्यावरण विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। तृतीय

वर्ष के परीक्षा फार्म में छात्रों द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि वह पर्यावरण विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।
3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।  
(ख) जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा सुधार के हकदार हैं, उन्हें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति दे कर प्रवेश की अनन्तिम अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। परन्तु यह नियम उस स्थिति में ही लागू होगा जब सुधार परीक्षा—मुख्य परीक्षा के साथ सम्पन्न हो।  
(ग) 3(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।  
(घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।
4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस—सी./बी.काम./एल—एल—बी.(सेमेस्टर सिस्टम)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, एम.ए./एम.एस—सी./एम.काम./एल.एल.एम./एम.बी.ए., पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में, बी.एस—सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम सत्र 2001—2002 से प्रभावी है।  
(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं।  
(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. प्रवेश की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा।
5. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी।
7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।  
(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह मान्य नहीं होगा एवं छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने की अनुमति होगी परन्तु समय सीमा में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा—



(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन, अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब-ए-माहिर/अदीब-ए-कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।  
(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे। एकल विषय में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधिकतम पाँच वर्ष के अर्न्तगत उत्तीर्ण करना होगा। यह नियम सत्र 2014-2015 से लागू है।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
13. बी.एड. (वोकेशनल), बी.एड. (स्पेशल), एम.एड. / एप्लाइड एम.एड., एल.एल.बी., एम.एस-सी./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक./कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करे।
14. विश्वविद्यालय द्वारा यथाशीघ्र ही एक समतुल्यता समिति का गठन किया जायेगा जो अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के विवादों, परीक्षा प्रणाली, पत्राचार पाठ्यक्रम और अन्य समस्याओं का निस्तारण करेगी।
15. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
16. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में एल.एल.एम./एम.एड. को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
18. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता-प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय

परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।

19. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में नहीं बैठा या विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुनः उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह भूतपूर्व छात्र के रूप में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।

स्पष्टीकरण – जो छात्र प्रवेश लेने के पश्चात् अन्यत्र कहीं चला जाता है और परीक्षा फार्म आदि नहीं भरता है, वह अगले वर्ष भू.पू. छात्र के रूप में तभी सम्मिलित होगा जब उसने संस्थागत छात्र के रूप में 75% उपस्थिति पूर्ण कर ली हो।

20. एम.एस-सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।

(क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस-सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस-सी./एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45 प्रतिशत अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात् उनके लिए 40% होगा।

(ग) छात्र एम.एस-सी. एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) 1. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए। एस.सी./एस.टी. के छात्र/छात्राओं को 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा जारी चैप्टर-II स्टैन्डर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के रूल-10 का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(च) मास्टर ऑफ लॉ (एल एल-एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की एल एल-बी. डिग्री (त्रिवर्षीय)/ एल एल.बी. पाँच वर्षीय प्राप्त की हो। एल एल-एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

(छ) एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

21. (क) अनुचित साधनों का प्रयोग का प्रयास करने वाले छात्रों को, विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा

प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ड.) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहायकों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागिरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- 2.2. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा निहित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्पष्टीकरण— बी.एड. तथा एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर (एन.सी.टी.ई.) के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। यद्यपि विश्वविद्यालय के सामान्य प्रवेश नियम भी प्रभावी रहेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर वर्ष 1988 अथवा उसके बाद 14 वर्षीय शिक्षा ग्रहण की है तो वह परास्नातक स्तर पर प्रवेश के अर्ह नहीं है। अर्थात् 11+3 या 10+2+2 या 10+1+3 ऐसे छात्रों को एक वर्ष ब्रिजकोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम में से करना होगा। जिन छात्रों ने वर्ष 1987 अथवा इससे पूर्व स्नातक परीक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण की है उन्हें ब्रिजकोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों ने एक वर्ष का परास्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन्हें परास्नातक के द्वितीय वर्ष के लिए ब्रिजकोर्स करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) बी.एस—सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान (बायोग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडियेट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा। स्पष्टीकरण— गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगी।

(ग) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अतिरिक्त वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किये हों।

एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि स्नातक परीक्षा में 50% अंक नहीं हैं तो उसी स्ट्रीम में परास्नातक परीक्षा में 50% अंक होना अनिवार्य होंगे, तभी छात्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(घ) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक परीक्षा में 50% अंक हैं किन्तु एन.सी.टी.ई. के मानकों के अनुसार यदि छात्र के स्नातक परीक्षा में 50% अंक नहीं हैं तो बी.ए./बी.एस—सी./बी.कॉम. वाले स्नातकोत्तर उपाधि में 50% अंक अवश्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ही उत्तीर्ण होना चाहिये।

- (ङ) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

- 2.3. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.काम. परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5% अंकों की छूट अनुमत्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस—सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस—सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

- 2.4. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.काम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस—सी. गणित और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

- 2.5. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस

विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

26. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-उर्दू, अलीगढ़ से अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
27. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
28. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ, द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
29. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।  
**स्पष्टीकरण—** सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी. एड. में प्रवेश हेतु अर्ह है। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
30. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
31. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/अन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
32. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
33. प्रवेश समिति दिनांक 5/3/02 के बिन्दु सं 0 6 (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत है:— “सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जायेगी।”
34. बी.टेक. एवं बी.फार्मा. उत्तीर्ण छात्र एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

## खाण्ड—'ख'

### विशेष निर्देश:

1. धर्म जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. (क) शासनादेश अनुरूप महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। छात्रावास में आरक्षित स्थान तब तक रखे जायेंगे जब तक प्रवेश की तिथि समाप्त न हो।  
(ख) विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत मैरिट अथवा महिलाओं के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवेश में क्रमशः 03 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।  
**स्पष्टीकरण—** विकलांगों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि/श्रवण ह्रास) एवं पालन निःशक्तता या प्रभास्तिकीय अंग घात के लिए पृथक-पृथक एक प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।  
(ग) यदि अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के

छात्रों से भरे जायेंगे। यदि किसी भी आरक्षित श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं तो उसे सामान्य सीटें मानकर भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए योग्यता (मेरिट) के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में केवल 5 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे और बाहर प्रदेशों के सभी छात्र सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

3. विधि प्रवेश परीक्षा एवं एम.एस-सी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग के आधार पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए सीट आबंटित होती है। अतः इनमें प्रवेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राचार्य कोई अनापत्ति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे। काउन्सिलिंग के आधार पर आबंटित सीटें एक संस्थान से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित नहीं होगी।
4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमत्य होगा।
5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी। जिन परीक्षार्थियों ने सत्र 2011-12 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में (संस्थागत) जुलाई 2015 में प्रवेश ले लिया है, इसी प्रकार सत्र 2011-12 में स्नातक उत्तीर्ण किया है और जुलाई 2015 में परास्नातक में प्रवेश लिया है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र 03 वर्ष से अधिक अन्तराल के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे। उन्हें सत्र 2015-16 की मुख्य परीक्षा में अनुमत किया जाये।
6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच-डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है।
7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ) राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेल कूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
(ब) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(स) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(द) एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र अथवा "बी" प्रमाण पत्र "जी II" प्रमाण पत्र और "बी" और "जी प्रथम" प्रमाण पत्र के लिए	10 अंक 05 अंक
(ड) एन.एस.एस के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें 240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर	05 अंक

या

1 2वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 0 5 अंक

या

प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	1 0 अंक
भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	1 0 अंक
रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	0 5 अंक

नोट: किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 1 0 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी—अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी।

9. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण— बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

1 0. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। महाविद्यालय स्तर पर तैयार की गयी योग्यता सूची एवं प्रतीक्षा सूची की एक प्रति विश्वविद्यालय भेजी जायेगी एवं एक प्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी। जिन कक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा उन्हीं कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय योग्यता सूची से करेगा। बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश सामान्यतः उन छात्रों को दिये जायेगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कक्षा 1 2) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 5 अंक उन छात्रों को प्रदान किये जायेंगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की है। ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

1 1. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।

1 2. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।

1 3. M.A. कक्षा में 1 0 प्रतिशत सीटें नॉन-स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी। नॉन-स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन-स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण छात्र "नॉन स्ट्रीम" के अन्तर्गत नहीं आएगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए नॉन-स्ट्रीम नहीं होगा।

1 4. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

1 5. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद

ही प्रवेश दिया जाये।

16. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है।

स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा।

**स्पष्टीकरण—** यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्तें उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होंगी।

17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
18. डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 % अंकों की छूट होगी।
19. महाविद्यालयों में चले रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है, इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे।
20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त सं0 4 पर लिये गये निर्णयानुसार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (इग्नू) नई दिल्ली, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, (यू0पी0 आर0टी0ओ0यू0) इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रवेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए0आई0यू0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी0पी0पी0 के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाय।
22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ5-1/2008 (सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी) (NITS) को भारत सरकार के अधिनियम एन. आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है, इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.12 द्वारा अनुमोदित)
23. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात् यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगा।

## List of Senior secondary Boards In India (State wise)

1. Andhra Pradesh Board of Intermediate Education, Vidhya Bhawan Nampally, Hyderabad 500 002
2. Andhra Pradesh Board of Secondary Education Hyderabad 500 001
3. Assam Higher secondary Education Council Bamunimaidan Guwahati 781 021
4. Assam Board of Secondary Education, Guwahati - 781 021
5. Bihar Intermediate Education Council, Budh Marg- Patna 800 001
6. Bihar School Exam Board, Sinha Library Road, Patna - 800 017
7. Central Board of Secondary Education 2, Community Centre Shiksha Kendra, Preet Vihar Delhi 110 092
8. Council for the Indian School Certificate Examination, Prgati House, 47/48, Nehru Place, New Delhi 110019
9. Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education Alto Betim Berdiz, Goa 403,521
10. Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Sector-10-B, Near Old Schivalaya, Gandhinagar-382 043
11. Haryana Board of School Education, Hansi Road, Bhiwani 125 021
12. Himachal Pradesh Board of School Education, Gayana, Lok Parishar Civil Lines, Dharamshala, Distt. Kangra-176 213
13. Jammu & Kashmir Board of School Education, Rehari Colony, Jammu 180 005
14. Karnataka Board of Pre-University Education, Technical Education Building, Palace Road, Bangalore 560 001
15. Karnataka Secondary Education Examination Board, 6th Cross, Malleswaram, Bangalore - 560003
16. Kerala Board of Public Exam, Pareeksha Bhawan, Poojapura, Thiruvannanthapuram - 695 012
17. Kerala Board of Higher Secondary Education, Housing Board Building, Santhi Nagar, Thiruvannanthapuram - 695 001
18. Madhya Pradesh Board of Higher Secondary Education, Bhopal - 462 001
19. M.P. State Open School Board of Secondary Education, Campus Shivaji Nagar, Bhopal - 462 013
20. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Campus Shivajijangar, Pune-411 005
21. Manipur Board of Secondary Education, Imphal 795 001
22. Manipur Council of Higher Secondary Education, Babupura, Imphal West - 795001 (Manipur)
23. Meghalaya Board of School Education, West Garo Hills, Tura, Meghalaya - 794 102
24. Mizoram Board of School Education, Chaltlan, Post Box - 7, Aizawl - 796 012
25. Nagaland Board of School Education, Post Box - 98, Kohima - 797 001
26. National Institute of Open Schooling, B\31-B, Kailash Colony, New Delhi 110048
27. Orissa Council of Higher Secondary Education C-2, Pragnyapith, Samantapur, Bhubneshwar
28. Orissa Board of Secondary Education, Bajra Kabali Road, Cuttack - 753001
29. Punjab School Education Board, Vidya Bhawan, SAS Nagar, Phase-8, Mohali 160059
30. Rajasthan Board of Secondary Education, Ajmer 305001



31. Tamilnadu State Board of School Examination, College Road, Chennai 600 006
32. Tamilnadu Board of Higher Secondary Education, DPI Compound, College Road, Chennai 600 006
33. Tripura Board of Secondary Education, Nehru Complex (Gorkha Basti) PO Kunjaban, Agartala, Tripura West 799 006
34. UP Board of High School & Intermediate Education Allahabad
35. W.B. Board of Secondary Education, 77/2, Park Street, Kolkata - 700 016
36. West Bengal Council of Higher Secondary Education, Vidhya Sagar Bhawan, 9/2, D.J. Block, Sector-II, Salt Lake, Kolkata - 700 091
37. W.B. Board of Primary Edu., Acharya Prafulla Chandra Bhawan, DK-7/1, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700 091
38. W.B. Board of Madrasah Edu., 19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata - 700 016
39. Rabindra Mukta Vidyalaya, Vikash Bhawan (2nd Floor, East Block), Bidhannagar, Kolkata-700 019
40. Chhatisgarh Board of Secondary Education, Pension Bada, Raipur-492 001
41. Uttarkhand Board of High School & Intermediate Education, Dehradun-248 001
42. Jharkhand Academic Council, Birsadin, Hawaii Nagar, Hatia, Khunti Road, Ranchi - 834 003.
43. रजिस्ट्रार, अरबी, फारसी परीक्षाएं, उ.प्र. लखनऊ द्वारा संचालित आलिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मानी गयी है। तदनुसार अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

**Note: In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi, the Candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.**

**Important :** The candidates who have passed any examination from 'All India Board of Secondary Education, Delhi' (अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली) are not eligible for admission to any course of studying this University.

# List of Universities Institutions (Statewise)

## Andhra Pradesh

1. Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Hyderabad-500 030
2. Andhra Pradesh University of Health Sciences, Vijaywada-520 008
3. Andhra University, Visakhapatnam-530 003
4. Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar, Guntur-522 510
5. Central Institute of English & Foreign Languages, Hyderabad-500 007 (Deemed University)
6. Dr. BR Ambedkar Open University, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033
7. Dravidian University, Kuppam-517 425
8. Hyderabad University, Hyderabad-500 046 (Central University)
9. International Institute of Information Tech., Hyderabad-500 011 (Deemed University)
10. Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad-500 072
11. Kakatiya University, Warangal-506 009
12. Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad-500 032 (Central University)
13. National Academy of Legal Studies & Research University, Hyderabad-500 027
14. National Institute of Technology (REC) Warangal-506 004 (Deemed University)
15. Nizam's Institute of Medical Sciences, Panjagutta, Hyderabad-500 082 (12 B w.e.f. 17.06.02)
16. Osmania University, Hyderabad-500 007
17. Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad-500 004
18. Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati-517 507 (Deemed University)
19. Sri Krishnadevaraya University, Anantapur-515 003
20. Sri Padmavati Mahila Vishvavidyalayam, Tirupati-517 502
21. Sri Sathya Sai-Institute of Higher Learning, Prasanthi Nilayam, Anantapur-515 314 (Deemed University)
22. Sri Venkateswara University, Tirupati-517 507
23. Sri Venkateswara Institute of Medical Science, Tirupati-517 507 (12 B w.e.f. 22.05.03)

## Arunachal Pradesh

24. Arunachal University, Itanagar-791 112

## Assam

25. Assam Agricultural University, Jorhat-785 013
26. Assam University, Silchar-788 011 (Central University)
27. Dibrugarh University, Dibrugarh-782 004
28. Gauhati University, Guwahati-781 014
29. National Institute of Technology, Silchar-788 010 (Deemed University)
30. Tepur University, Tepur-784 028 (Central University)
31. Indian Institute of Technology, Institute of Engineers Building, Guwahati-781 001

## **Bihar**

32. Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur-842 001
33. Bhupendra Narayan Mandal University Madhepura-852 113
34. Bihar Yoga Bharti, Munger-811 201 (Deemed University)
35. Jai Prakash Narain University, Chhapra-841 301
36. K.S. Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Darbhanga-846 008
37. Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga-841 008
38. Magadh University, Bodh Gaya-824 234
39. Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Sandal Nagar, Mehendru, Patna-800 006
40. Nalanda Open University, Patna-800 001
41. Patna University, Patna-800 005
42. Rajendra Agrucultural University, Samastipur-848 125
43. T. M. Bhagalpur University, Bhagalpur-812 007
44. Veer Kunwar Singh University, Arrah-802 301
45. Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna-800 014

## **Chhatisgarh**

46. Guru Ghasidas University, Bilaspur-495 009
47. Hidayatullah National Law University, Civil Lines, Raipur-492 001
48. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur-492 001
49. Indira Kala Sangeet, Vishwavidyalaya, Khaira Garh-491 881
50. Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur-492 010

## **Goa**

51. Goa University, Goa-403 206

## **Gujarat**

52. Bhavnagar University, Bhavnagar-365 002
53. Dharm Singh Desai Institute of Technology, Nadiad-387 001 (Deemed University)
54. Dr. Babasaheb Amedkar Open University, Ahmedabad-380 003
55. Dhirubhai Ambani Institute of Information & Communication Technology, Gandhinagar, Post Box No. 4, Gandhinagar-382 007 (Private University)
56. Gujarat Agricultural University, Sardar Krushinagar, Banaskantha-385 506
57. Gujarat Ayurved University, Jamnagar-361 008
58. Gujarat University, Ahmedabad-380 009
59. Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad-380 009 (Deemed University)
60. Hemchandracharya North Gujrat University, Post Box No. 21, University Road, Patan-384 264
61. Kantiguru Shyamji Verma Kachchh University, C.S.-60, Jubilee Ground, Bhuj, Kachchh-370 001
62. Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara-390 002

63. Nirma University of Science & Technology, Sarkhej, Gandhinagar Highway, Village-Chharodi, Ahmedabad, Gujrat (Private University)
64. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388 120
65. Sardar Vallabhbhai National Institute of Tech. (REC) Surat-395 007 (Deemed University)
66. Saurashtra University, Rajkot-360 005
67. South Gujarat University, Surat-395 007

### **Haryana**

68. Chaudhary Devi Lal University, Sirsa
69. Ch. Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar-125 004
70. Guru Jambheshwar University, Hisar-125 001
71. Kurukshetra University, Kurukshetra-136 119
72. Maharshi Dayanand University, Rohtak-124 001
73. National Grain Research Centre, Gurgaon-122 001 (Deemed University)
74. National Dairy Research Institute, Karnal-132 001 (Deemed University)
75. National Institute of Technology (REC), Kurukshetra-136 119 (Deemed University)

### **Himachal Pradesh**

76. Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Jauni-173 230
77. Himachal Pradesh University, Shimla-171 005
78. Himachal Pradesh Agricultural University, Palampur-176 062
79. Jaypee University of Information & Technology, Solan-173 215 (Private University)
80. National Institute of Technology (REC), Hamirpur-177 005 (Deemed University)

### **Jammu & Kashmir**

81. Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri Camp Office, Bye-Pass Road, Opp. Channai Himmat, Jammu
82. Jammu University, Jammu Tawai-180 006
83. Kashmir University, Srinagar-190 006
84. National Institute of Technology (REC), Srinagar-190 006 (Deemed University)
85. Sher-e Kashmir University of Agricultural Science & Technology, Sri Nagar-191 121
86. Shri Mata Vaishno Devi Camp Office : 27 A/D, Gandhinagar, Jammu-180 004
87. Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar

### **Jharkhand**

88. Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi-835 2152 (Deemed University)
89. Birsa Agricultural University, Ranchi-834 006
90. Indian School of Mines, Dhanbad-826 004 (Deemed University)
91. National Institute of Technology (TEC) Jamshedpur-831 014 (Deemed University)
92. Ranchi University, Ranchi-834 001
93. Siddhu Kanhu University, Dumka-814 101

94. Vinoba Bhave University, Hazaribag-825 301

### **Karnatka**

95. Bangalore University, Bangalore-560 056

96. Gulbarga University, Gulbarga-585 106

97. Indian Institute of Science, Bangalore-560 012 (Deemed University)

98. International Institute of Information Technology, Bangalore (III-B), Karnataka (Deemed University)

99. Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Jakkur Campus, Bangalore-560 064 (Deemed University)

100. Kannada University, Hampi, Bellary District, Kamalpura-583 276

101. Karnatka University, Dharwad-580 003

102. Karnatka State Open University, Mysore-570 006

103. Karnatka State Women University, Bijapur-586 101 (Karnataka)

104. Kuvempu University, Shankaraghatta-577451

105. Karnatka Veterinary Animal & Fisheries Sciences University, Nandinagar, PB NO. 6, Bidar-585 401 (Karnataka)

106. Mangalore University, Mangalore-574 119

107. Manipal Academy of Higher Education, Manipal-576 004 (Deemed University)

108. Mysore University, Mysore-575 025 (Deemed University)

109. National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore-560 029 (Deemed University)

110. National Institute of Technology, Karnataka (REC), Surathkal-575 025 (Deemed University)

111. National Law School of Indian University, Bangalore-560 072

112. Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore-560 004

113. Swami Vivekanande Yoga Anusandhana Samsthana, Bangalore (Deemed University)

114. University of Agricultural Sciences, Bangalore-560 065

115. University of Agricultural Sciences, Dharwad-580 005

116. Visveshwaraiah Technological University, Belgaum-589 010

### **Kerala**

117. Calicut University, Trichy Palary, Malapuram, District Kozhikode-673 635

118. Cochin University of Science & Technology, Kochi-682 022

119. Kannur University, Kannur-670 562

120. Kerala Agricultural University, Thrissur-680 656

121. Kerala University, Thiruvananthapuram-695 034

122. Mahatma Gandhi University, Kottayam-686 560

123. National Institute of Technology (REC) Calicut-673 601 (Deemed University)

124. Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology, Thiruvananthapuram-695 011

125. Sree Shankracharya University of Sanskrit, Kalady-683 574

### **Madhya Pradesh**

126. Awadesh Pratap Singh University, Rewa-486 003
127. Barkatullah University, Bhopal-462 026
128. Devi Ahilya Vishwavidhalaya, Indore-452 001
129. Dr. Hari Singh Gour Vishwa Vidyalaya, Sagar-470 003
130. Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior (Deemed University)
131. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur-482 004
132. Jiwaji University, Gwalior-474 011
133. Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior-743 002 (Deemed University)
134. Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot-485 331 District Satna
135. Madhya Pradesh Bhoj University, Bhopal-462 016
136. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Jabalpur-482 001
137. Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita National University of Journalism, Bhopal-462 039
138. Maulana Azad National Institute of Technology (REC) Bhopal-462 007 (Deemed University)
139. National Law Institute University, Bhahbhada Road, Barkeri Kalan, Bhopal
140. Rajiv Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal-462 036
141. Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur-482 001
142. Vikram University, Ujjain-456 010

### **Maharashtra**

143. Amravati University, Amravati-530003
144. Bharti Vidhyapeeth, Pune-411 030 (Deemed University)
145. Central Institute of Fisheries Education, Mumbai-400 061
146. Deccan College Post Graduate & Research Institute Pune-411 006 (Deemed University)
147. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad-431 004
148. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere-402 103
149. Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune-411 018 (Deemed University)
150. Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola-444 104
151. Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune-411 004 (Deemed University)
152. Indira Gandhi Institute, of Development Research, Mumbai-400 088 (Deemed University)
153. Institute of Armament Technology, Pune-411 025 (Deemed University)
154. International Institute for Population Sciences, Mumbai-400 088 (Deemed University)
155. Kavikulguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya, Nagpur-441 106
156. Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli, Distt. Ratnagiri-415 712
157. Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Seminary Hills, Nagpur-440 006
158. Maharashtra University of Health Sciences, Nashik-422 013
159. Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha (Central University)
160. Mahatma Phule Krishi Vidapeeth, Rahuri-413 722
161. Marathwada Agricultural University, Parbhani-431 402

162. Mumbai University, Mumbai-400 032
163. Nagpur University, Nagpur-400 001
164. Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai-400 056 (Deemed University)
165. North Maharashtra University, Jalgaon-425 001
166. Padamshree Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, Navi Mumbai-400 706 (Deemed University)
167. Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, District Ahmednagar-413 736 (Deemed University)
168. Pune University, Pune-411 007
169. Shivaji University, Kolhapur-426 004
170. Smt. Nathibai Damodar Thackersey Women's University, Mumbai-400 020
171. Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded-431 606
172. SYMBOSIS International Education Centre, Pune-411 004 (Deemed University)
173. Solapur University, Solapur, Solapur Pune Road, Kegaon, Solapur-413 255
174. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai-400 005 (Deemed University)
175. Tata Institute of Social Sciences, Deonar, Mumbai-400 080 (Deemed University)
176. Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune-411 037 (Deemed University)
177. Visvesvaraya National Institute of Technology (REC), Nagpur-440 011 (Deemed University)
178. Yaswantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422 222
179. Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai-400076

### **Manipur**

180. Central Agricultural University, Imphal-795 004 (Central University)
181. Manipur University, Imphal-795 003

### **Meghalaya**

182. North Eastern Hill University, Shilong-793 022 (Central University)
183. Mizoram University, Aizawal-796 012 (Central University)

### **Nagaland**

184. Nagaland University, Nagaland-797 001 (Central University)

### **Orissa**

185. Berhampur University, Berhampur-760 007
186. Biji Patnaik University of Technology, Raurkela
187. Fakir Mohan University, Balasore-596 019
188. Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar-951 024 (Deemed University)
189. National Institute of Technology (REC), Raurkela-769 008 (Deemed University)
190. North Orissa University, Bari Pada, District Mayurbhanj, Bhubaneswar-757 003
191. Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneswar-751 003
192. Sambalpur University, Sambalpur-769 019
193. Shri Jagannath Sa nskrit Vishwavidyalaya, Puri-752 003

194. Utkal University, Bhubneswar-751 004  
195. Utkal University of Culture, Bhubneswar-751 009

### **Pondicherry**

196. Pondicherry University, Pondicherry-605 014 (Central University)

### **Punjab**

197. Baba Farid University of Health & Medical Sciences, Kotdapura, Faridkot-151 203  
198. Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, (REC) Jalandhar-144 011 (Deemed University)  
199. Guru Nanak Dev University, Amritsar-143 005  
200. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh-160 012  
201. Punjab Agricultural University, Ludhiana-141 044  
202. Punjab Technical University, Jalandhar-144 011  
203. Punjabi University, Patiala-147 002  
204. Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala-147 004 (Deemed University)

### **Rajasthan**

205. Banasthali Vidyapeeth, Banasthali-304 022 (Deemed University)  
206. Birla Institute of Technology & Science, Pilani-333 031 (Deemed University)  
207. Institute of Advanced Studies in Education of Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr-337 401 (Deemed University)  
208. Jai Narain Vyas University, Jodhpur-342 011  
209. Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun-341 306 (Deemed University)  
210. Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur-313 001 (Deemed University)  
211. Kota Open University, Kota-324 010  
212. Maharana Pratap University of Agri. & Technology, Udaipur-313 001  
213. Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer-305009  
214. Malviya National Institute of Technology (REC) Jaipur-302 017 (Deemed University)  
215. Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh , Distt. Sikar, Rajasthan (Deemed University)  
216. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur-313 001  
217. National Law University, Jodhpur-342 002  
218. Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334 006  
219. Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur  
220. Rajasthan Sanskrit University, 2-2 A, Jhalana Doongari, Jaipur-302 017  
221. Rajasthan University, Jaipur-302 004  
222. University of Bikaner, 23 Civil Lines, Bikaner  
223. University of Kota, Kota, Rajasthan

### **Sikkim**

224. Sikkim Manipal University of Health, Medical & Technological Sciences, Gangtok-737 101

### **Tamilnadu**



225. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi-630 003
226. Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore-641 105 (Deemed University)
227. Anna University, Guindy, Chennai-600 025
228. Annamalai University, Annamalainagar-608 002
229. Avinashilinagam Institute for Home Science & Higher Education for Women, Coimbatore-641043 (Deemed University)
230. Bharath Institute of Higher Education & Research, Chennai-600 073 (Deemed University)
231. Bharathiar University, Coimbatore-641 046
232. Bharathidasan University, Tiruchirapalli-620 024
233. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Thyagaryanagar, Chennai-600 017
234. Gandhigram Rural Institute, Gandhigram-624 302 (Deemed University)
235. Indian Institute of Technology, Chennai-600 036
236. Karunya Institute of Technology & Sciences, Karunaya Nagar, Coimbatore-641 114 (Deemed University)
237. M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai-600 095 (Deemed University)
238. Madras University, Chennai-600 005
239. Madurai Kamaraj University, Madurai-625 021
240. Manonmanian Sundaranar University, Tirunelveli-627 012
241. Meenakshi Academy of Higher Education & Research, Chennai-600 092 (Deemed University)
242. Mother Teresa Women's University, Kodaikana-624 102
243. National Institute of Technology, Tiruchirapalli-620 015
244. Periyar University, Salem-636 011
245. S.R.M. Institute of Sciences & Technology, Chennai-600 033 (Deemed University)
246. Sathyabama Institute of Science & Technology, Chennai-600 119 (Deemed University)
247. Shanmugha Arts, Science & Technology Research & Academy (Sastra), Thanjavur-613 402 (Deemed University)
248. Sri Chandrashekharendra Saraswathi Viswa Maha Vidyalaya, Kancheepuram-631 561 (Deemed University)
249. Tamil University, Thanjavur-613 005
250. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-641 003
251. Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai-600 028
252. Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Anna Salai, Chennai-600 032
253. Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai-600 051
254. Tamil Nadu Open University, Directorate of Technical Education Campus Guindy, Chennai-600 025
255. Thiruvalluvar University, Fort, Vellore-632 004
256. Vellore Institute of Technology, Vellore-632 014 (Deemed University)
257. Vinayaka Mission's Research Foundation, Salem-636 308 (Deemed University)

## **Tripura**

258. Tripura University, Agartala-799 130

## **Uttar Pradesh**

259. Aligarh Muslim University, Aligarh-202 002 (Central University)
260. Allahabad Agriculture Institute, Allahabad-211 077 (Deemed University)
261. Allahabad University, Allahabad-211 002
262. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow-226 025 (Central University)
263. Banaras Hindu University, Varanasi-221 005 (Central University)
264. Bhatkhande Music Institute, Kesarbagh, Lucknow-226 001 (Deemed University)
265. Bundelkhand University, Jhansi-284 128
266. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi-221 007 (Deemed University)
267. Chandra Shekhar Azar University of Agriculture & Technology, Kanpur-208 002
268. Chharpati Shahu Ji Maharaj Kanpur University, Kanpur-208 024
269. King Georges Medical University, Lucknow-226 003
270. Ch. Charan Singh University, Meerut-250 005
271. Dayalbagh Educational Institute, Agra-282 005 (Deemed University)
272. Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur-273 009
273. Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad-224 001
274. Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra-282 004
275. Indian Institute of Information Technology, Allahabad-211 002 (Deemed University)
276. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar-243 122 (Deemed University)
277. Integral University, Kursi Road, Lucknow-226 026 (Private University)
278. Jagatguru Rambhadracharya Handicapped University, Chitrakoot, Dhampur-210 204 (Private University)
279. Jaypee Institute of Information Technology, A-10 Sector 62, Noida-201 307 (U.P.) (Deemed University)
280. Lucknow University, Lucknow-226 007
281. M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly-243 06
282. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi-221 002
283. Motilal Nehru Institute of Technology (REC), Allahabad-211 004 (Deemed University)
284. Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Faizabad-224 229
285. Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi-221 002
286. Sardar Vallabh Bhai Patel University of Agricultural & Technology, Meerut-250 110
287. Uttar Pradesh Technical University, Sitapur Road, Lucknow-226 021
288. U.P. King George's University of Dental Science, Lucknow-226 03
289. U.P. Rajashi Tandon Open University, 17, Maharishi Dayanand Marg, Thodnhills Road, Allahabad-211 001
290. Sri Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur-222 002
291. Indian Institute of Technology, Kanpur-208 016
292. Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow-226 014 (12-B)
293. Inverties University, Bareilly

294. Teerthankar Mahaveer University, Moradabad

### **Uttarakhand**

295. Dev Sanskrit Vishwavidyalaya, Gaytri Kunj, Shanti Kunj, Haridwar-249 411 (Private University)

296. Forest Research Institute, Dehradun-248 195 (Deemed University)

297. Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar (U.S. Nagar)-263 145

298. Gurukul Kangri Vishwa Vidyalaya, Haridwar-249 404 (Deemed University)

299. Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar-246 174

300. Kumaun University, Nainital-263 001

301. University of Petroleum & Energy Studies, Building No.7, Street No. 1, Basant Bihar Enclave, Dehradun-284 006 (Private University)

302. Indian Institute of Technology, Roorkee-247 667

### **West Bengal**

303. Bengal Engineering & Science University, Shibpur, Howrah-711 103

304. Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, Nadiq-741 252

305. Burdwan University, Rajwati, Burdwan-713 104

306. Calcutta University, Kolkata-700 073

307. Jadavpur University, Calcutta-700 032

308. Kalyani University, Kalyani-741 235

309. National Institute of Technology, (REC) Durgapur-713 209 (Deemed University)

310. Netaji Subhash Open University, Kolkata-700 050

311. North Bengal University, Raja Ram Mohanpur, Darjeeling-734 430

312. Rabindra Bharati University, Kolkata-700 050

313. Ramkrishna Mission Vivekanand Educational and Research Institute Belur Math, Howrah, West Bengal (Deemed University)

314. The West Bengal National University of Judicial Science, NUJS Bhava, 12 LB Block, Sector III, Salt Lake city, Kolkata

315. The West Bengal University of Health Sciences, DD 36, Sector-1, Salt Lake Kolkata-700 064

316. Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, Distt Coock Behar-736 165

317. Vidyasagar University, Midnapore-721 102

318. Visva Bharati University, Santiniketan-731 235 (Central University)

319. West Bengal University of Animal & Fisheries Sciences, Belgachia, Kolkata-700 037

320. West Bengal University of Technology, Kolkata-700 064

321. Indian Institute of Technology, Kharagpur-721 302

322. Indian Statistical Institute, Kolkata-700 108

### **NCET of Delhi**

323. All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi

324. Delhi University, Delhi-110 007 (Central University)

325. Guru Gobind Singh Indraprastha Vishwavidyalaya, Kashmiri Gate, Delhi-110 006

326. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-110 012 (Deemed University)

327. Indian Institute of Foreign Trade, IIFT Bhjawan, Qutab Industrial Area, New Delhi-110 016 (Deemed University)

328. Indian Institute of Technology, Hauz Khas, New Delhi-110 016

329. Indira Gandhi National Open University, New Delhi-110 068 (Central University)

330. Jamia Hamdard, New Delhi-110 062 (Deemed University)
331. Jamia Millia Islamia University, New Delhi-110 025 (Central University)
332. Jawahar Lal Nehru University, New Delhi-110 067 (Central University)
333. National Museum Institute of History of Art, Conservation & Museology, New Delhi-110 001 (Deemed University)
334. National School of Drama, 1, Bhawalpur House, Bhawandas Road, New Delhi-110 001 (Deemed University)
335. Indian Law Institute, Bhawandas Road, New Delhi-110 001 (Deemed University)
336. Rastritya Sanskrit Sansthana Janak Puri, New Delhi-110 058 (Deemed University)
337. School of Planning & Architecture, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002
338. Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidhyapeetha, New Delhi-110016 (Deemed University)
339. Teri School of Advanced Studies, New Delhi-110 003 (Deemed University)

#### **NCET of Chandigarh**

340. Punjab University, Chandigarh-160 014
341. Punjab Engineering College, Chandigarh-160 009 (Deemed University)
342. Pharmaceutical Education and Research, Mohali
243. अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान जो विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

## **LIST OF FAKE UNIVERSITIES**

### **फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची**

1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar
2. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Woman's University) Prayag, Allahabad (UP)
3. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (UP) Jagatpuri, Delhi
4. Commercial Ltd., Daryaganj, Delhi
5. Indian Education Council of U.P., Lucknow (UP)
6. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad (UP)
7. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur (UP)
8. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltal, Aligarh (UP)
9. D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu
10. St. John's University, Kishanttam, Kerala
11. United Nation University, Delhi
12. Vocational University, Delhi
13. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura (UP)
14. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh (UP)
15. Raja Arabic University, nagpur (Maharashtra)
16. Kesarwani Vidyapith, Jabalpur (MP)
17. Dadaganvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak, Belgaum (Karnataka)
18. ADR-Centric Juridical University, ADR House, 81, Gopal Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi-110008
19. Handwriting University India, No. 16, Church Road, Basavangudi, Bangalore-560004 (Karnataka)
20. Gurukul Vishwavidyalaya, Vrindavan, UP



महात्मा ज्योतिबा फुले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

# महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

शैक्षक पंचांग (एकेडमिक कैलेंडर) सत्र 2015-2016

(विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए)

Website : [www.mjpru.ac.in](http://www.mjpru.ac.in)

क्रम सं.	विवरण	प्रवेश फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	प्रवेश परीक्षा तिथि	काउन्सिलिंग तिथि	अन्तिम प्रवेश तिथि	परीक्षाफल घोषित
1.	बी.ए./बी.एस-सी./बी.काम	20.07.2015			31.07.2015	15.06.2016
2.	(क) बी.एड. शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर बी.एड. प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।					
	(ख) एल.एल.बी. प्रथम वर्ष	10.04.2015	04.05.2015		31.07.2015	15.06.2016
	(ग) बी.एस-सी. (कृषि) प्रथम वर्ष	20.07.2015	-	-	31.07.2015	15.06.2016
	(घ) स्नातकोत्तर (एम.एस-सी.)/ अन्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	15.04.2015 30.07.2015	18, 19 एवं 20 मई 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.07.2015 31.07.2015	15.06.2016 15.06.2016
3.	एम.एड. (सामान्य)	11.04.2015	11.05.2015	बी.एड. परीक्षाफल घोषित होने के बाद	31.07.2015	15.06.2015
4.	संस्थागत छात्रों के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्राप्त कराये जाने की तिथि एवं नामांकन फार्म विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को प्राप्त कराये जाने की तिथि	31.08.2015	-	-	-	-
5.	प्रवेशित छात्रों की छात्रों की सूची मैरिट के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	16.08.2015	-	-	-	-
6.	विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों की बैठक पूर्ण होने की तिथि	15.10.2015	-	-	-	-
7.	संस्थागत छात्रों के नामांकन प्रपत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि	31.10.2015	-	-	-	-
8.	संस्थागत परीक्षा फार्म महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि	30.10.2015	-	-	-	-
9.	व्यक्तिगत परीक्षा फार्म बिना विलम्ब शुल्क के जमा करने की तिथि	30.09.2015	-	-	-	-
10.	रु. 500.00 विलम्ब शुल्क सहित	31.10.2015	-	-	-	-
11.	रु. 1000.00 विलम्ब शुल्क सहित	30.11.2015	-	-	-	-
12.	स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि				01.02.2016 से 28.02.2016 तक	-
13.	लिखित परीक्षा प्रारम्भ करने की तिथि	05.03.2016				
14.	ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ		02.05.2016 से 30 जून, 2016			
15.	वर्ष के कुल दिवस		365			
	1. ग्रीष्मावकाश		60			
	2. अन्य अवकाश		74			
	3. परीक्षा अवधि		45			
	4. पठन-पाठन दिवस		186			
16.	नव सत्र 2015-2016 प्रारम्भ		01.07.2016 (सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर हेतु)			

क्रम सं. विवरण	प्रवेश फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	प्रवेश परीक्षा तिथि	काउन्सिलिंग तिथि	अन्तिम प्रवेश तिथि	परीक्षा की तिथि	परीक्षाफल घोषित होना
17. जन्तु विज्ञान (एनीमल साइंस) एम.एस-सी. पूर्वाब्द	15.04.2015	18,19, 20 मई, 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.08.2015	लिखित 05.03.16 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
एम.एस-सी. उत्तराब्द	-	-		01.08.2015	लिखित 10.03.2016 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
18. पादप विज्ञान (प्लान्ट साइंस) एम.एस-सी.पूर्वाब्द	15.04.2015	18,19, 20 मई, 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.08.2015	लिखित 05.03.16 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
एम.एस-सी. उत्तराब्द	-	-		31.08.2015	लिखित 10.03.2016 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
19. अनप्रयुक्त गणित (एप्लाइड मैथमेटिक्स) एम.एस.सी. पूर्वाब्द	15.04.2015	18,19, 20 मई, 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.08.2015	लिखित 05.03.16 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
एम.एस.सी. उत्तराब्द	-	-		31.08.2015	लिखित 10.03.2016 प्रायो. 20.02.2015	15.06.2016
20. अनप्रयुक्त रसायन शास्त्र (एप्लाइड केमिस्ट्री) एम.एस.सी. पूर्वाब्द	15.04.2015	18,19, 20 मई, 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.08.2015	लिखित 05.03.16 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
एम.एस.सी. उत्तराब्द	-	-		31.08.2015	लिखित 10.03.2016 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
21. अनप्रयुक्त भौतिकी (एप्लाइड फिजिक्स) एम.एस.सी. पूर्वाब्द	15.04.2015	18,19, 20 मई, 2015	जुलाई 2015 प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह	31.08.2015	लिखित 05.03.16 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
एम.एस.सी. उत्तराब्द	-	-		31.08.2015	लिखित 10.03.2016 प्रायो. 20.02.2016	15.06.2016
22. 1. बी.एड. बोकेशनल स्पेशल एजुकेशन कम्प्यूटिंग शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर				शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर		15.06.16
2. एप्लाइड एम.एड.	11.04.15	11.05.15		31.07.2015	-	15.06.16
3. पी.जी.डी.इन इलेक्ट्रानिक्स जर्नलिज्म, एम.ए. इन एप्लाइड इंग्लिश	10.07.2015		योग्यता के आधार पर	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
4. एम.ए. (एप्लाइड एण्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी) (पूर्वाब्द/उत्तराब्द)	10.07.15		योग्यता के आधार पर	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
5. एम.एस.डब्ल्यू (पूर्वाब्द/उत्तराब्द)		10.07.2015	योग्यता से /समूह विचार विमर्श (ग्रुप डिस्कशन)	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
6. एडवान्स (पी.जी.डी.सी.ए.)		05.07.2015	योग्यता से /समूह विचार विमर्श (ग्रुप डिस्कशन)	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
23. अनुप्रयुक्त एवं क्षेत्रीय अर्थशास्त्र (एप्लाइड एण्ड रीजनल इकोनामिक्स) एम.ए.पूर्वाब्द		10.07.2015	योग्यता से	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
एम.ए. उत्तराब्द	-	10.07.2015		31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
24. प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति (एनशियन्ट हिस्ट्री एण्ड कल्चर) एम.ए.पूर्वाब्द		10.07.2015	योग्यता से	31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
एम.ए.उत्तराब्द	-	10.07.2015		31.07.2015	05.03.2016	15.06.16
25. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष	-	-	-	31.07.2015	20.03.2016	10.06.16
एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष	-	-	-	31.07.2015	20.03.2016	10.06.16
26. एम.बी.ए./एम.सी.ए./यू.पी.एम.कैट के निर्देशानुसार होटल मैनेजमेंट			उ. प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से			15.06.16
27. बी.टैक/बी.फार्मा			उ. प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से			15.06.16